



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260]
No. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1997/आषाढ़ 6, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1997/ASADHA 6, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1997

सा. का. नि. 350(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 35 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

‘परन्तु इस नियम की कोई बात उन औषधियों की दशा में लागू नहीं होगी जो सरकारी अफीम कारखाने द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन नियोजित रसायन कर्मचारियों या अध्याय 7क में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्वापक आयुक्त की विशेष अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्मित की जाती है ।

परन्तु यह और कि स्वापक आयुक्त इस अध्याय के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व भारत के औषधि महा नियंत्रक से परामर्श करेगा ।’

3. मूल नियमों के नियम 38 में 'नियम 37' शब्द और अंकों के पश्चात् 'या नियम 35 के परन्तुक' शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. मूल नियमों के नियम 39 में 'नियम 37' शब्द और अंकों के पश्चात् 'या नियम 35 के परन्तुक' शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

5. मूल नियमों के नियम 53 में निम्नलिखित परन्तु अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः -

'परन्तु इस नियम की कोई बात ऐसे औषधि पदार्थ को लागू नहीं होगी जिसका इस अध्याय के उपबंध के अधीन जारी किए गए किसी आयात प्रमाण पत्र या निर्यात प्राधिकार के अधीन भारत में आयात किया जाता है या भारत से निर्यात किया जाता है और अध्याय 7 क में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए भी लागू नहीं होगी ।'

6. मूल नियमों के नियम 65 में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः -

'परन्तु इस नियम की कोई बात इस दशा में लागू नहीं होगी यदि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों का, इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो उन मनःप्रभावी पदार्थों के लागू होते हैं जो अनुसूची-1 में सम्मिलित नहीं हैं, विनिर्माण कच्चा, परिवहन, अन्तर राज्यिक-आयात, अन्तर राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग या उपयोग किया जाता है और यह अध्याय 7 क में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए भी लागू नहीं होगी ।

'परन्तु यह और कि नियम 65 के उप नियम 12 में निर्दिष्ट किसी राज्य में औषधि नियंत्रण का भारसाधक प्राधिकारी अनुसूची-1 में सम्मिलित किए गए मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में नियम 65 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के जारी करने के पूर्व स्वापक आयुक्त से परामर्श करेगा ।'

7. मूल नियमों के अध्याय 7 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

'अध्याय 7 क

चिकित्सा संबंधी और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए स्वापक

औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण, कच्चा, परिवहन, आयात-निर्यात, क्रय और उपभोग के विषय में विशेष उपबंध

67 क इन नियमों के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,-

॥क॥ किसी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकेगा-

॥१॥ वैज्ञानिक आवश्यकताएं जिसमें कोई सरकारी प्रयोगशाला या भारत या विदेश में कोई अनुसंधान संस्था की विश्लेषण संबंधी आवश्यकताएं भी हैं,

॥११॥ किसी अस्पताल या कोई अन्य स्थापन या विशेषतः उस सरकार द्वारा अनुमोदित सरकार के किसी सम्यकरूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी के लिए अति सीमित चिकित्सीय आवश्यकताएं ,

॥१११॥ औषधि व्यसनियों के निराध्यसन के प्रयोजन के लिए सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा या किसी अनुमोदित धर्मार्थ या स्वयंसेवी संगठन द्वारा या ऐसी अन्य संस्था द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए,

॥ख॥ चिकित्सा संबंधी या वैज्ञानिक कृत्य संपादन करने वाले व्यक्ति इन नियमों के प्ररूप 7 में उनके उपयोग के पदार्थ और ब्यौरों के अर्जन से संबंधित अभिलेख बनाए रखे जाएंगे और ऐसे अभिलेख में उसमें अभिलिखित अंतिम उपयोग के पश्चात् कम से कम दो वर्षों के लिए परिरक्षित किए जाएंगे:

॥ग॥ किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों का, किसी विदेशी के उपयोग के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्त भेषज या लोक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य प्राधिकृत खुदरा वितरकों से केवल चिकित्सीय के अनुसरण में प्रदाय किया जा सकेगा या उसे दिया जा सकेगा' ।

8. मूल नियमों में प्ररूप सं0 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्रारूप सं०:-7

नियम 35,53,64 और 67 क देखिए

1. प्रयोगशाला/अनुसंधान संस्था/व्यक्ति/
अस्पताल/औषधालय का नाम
 2. पता
 3. औषधि का नाम
 4. जिससे यह औषधि अभिप्राप्त
की गई थी/खरीदी गई थी
 5. अभिप्राप्त की गई/खरीदी गई
मात्रा ग्रामों में
 6. अभिप्राप्त करने/खरीदने की
तारीख
- उपभोग के व्यौरे

क्रम सं० तारीख उपभोग की गई मात्रा प्रयोजन उपयोग करने वाले के हस्ताक्षर

टिप्पण 1। यह प्रारूप उपभोग की अंतिम तारीख से 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा ।

2। इसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 41 या 42 के अधीन सशक्त अधिकारियों में से अधिकारी या किसी पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा, सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/45/95-एन सी बी (समन्वय)]

रेखा नय्यर, संयुक्त सचिव

नोट मूल नियम दिनांक 14 नवंबर, 1985 को सा० का० नि० 837 अ० के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में का० आ० 786 अ० दिनांक 26.10.92 का० आ० 599 अ० दिनांक 10.8.93, सा० का० नि० 748 अ० दिनांक 14.12.1993 सा० का० नि० 543 दिनांक 24.10.94 तथा सा० का० नि० 82 दिनांक 14.2.95 तथा सा० का० नि० 556 इ० दिनांक 14 जुलाई, 1995 के तहत संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NARCOTICS CONTROL BUREAU
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1997

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 read with section 76, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 35 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the principal rules) the following proviso shall be inserted, namely :

"Provided that nothing contained in this rule shall apply in case the drugs are manufactured by Government opium factory or by chemical staff employed under the Central Board of Excise and Customs or any person authorised by the Narcotics Commissioner by a special licence for purposes mentioned in Chapter VIIA : Provided further that the Narcotics Commissioner shall consult the Drugs Controller General of India before issuing a licence under this Chapter."

3. In rule 38 of the principal rules after the word and figures "rule 37", the words and figures "or under the proviso to rule 35" shall be inserted.

4. In rule 39 of the principal rules after the words and figures "rule 37", the words and figures "or under the proviso to rule 35" shall be inserted.

5. In rule 53 of the principal rules the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that nothing in this rule shall apply in case the drug substance is imported into or exported out of India subject to an import certificate or export authorisation issued under the provision of this Chapter and for the purposes mentioned in Chapter VIIA."

6. In rule 65 of the principal rules the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that nothing contained in this rule shall apply in case the psychotropic substances specified in Schedule-I are manufactured, possessed, transported, imported inter-state, exported inter-state, sold, purchased, consumed or used subject to other provisions of this Chapter which applies to psychotropic substances which are not included in Schedule-I and for the purposes mentioned in Chapter VIIA.

Provided further that the authority incharge of the drug control in a State referred to in sub-rule (2) of rule 65 shall consult the Narcotics Commissioner before issuing a licence under rule 65 in respect of psychotropic substances included in Schedule-I."

7. After chapter VII of the principal rules, the following Chapter shall be inserted, namely :-

"CHAPTER VIIA

Special Provisions regarding manufacture, possession, transport, import-export, purchase and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances for medical and scientific purposes

67A. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these rules -

(a) a narcotic drug and psychotropic substance may be used for -

(i) scientific requirements including analytical requirements of any Government laboratory or any research institution in India or abroad;

(ii) very limited medical requirements of a foreigner by a duly authorised person of a hospital or any other establishment of the Government especially approved by that Government;

(iii) the purpose of de-addiction of drug addicts by Government or local body or by an approved charity or voluntary organisation or by such other institution as may be approved by the Central Government;

(b) persons performing medical or scientific functions shall keep records concerning the acquisition of the substance and the details of their use in Form 7 of these rules and such records are to be preserved for atleast two years after their

(c) a narcotic drug and psychotropic substance may be supplied or dispensed for use to a foreigner pursuant to medical prescription only from the authorised licensed pharmacists or other authorized retail distributors designated by authorities responsible for public health."

8. In the principal rules after Form No. 6, the following Form shall be inserted, namely :-

"Form No.7

(See rules 35,53,64 and 67A)

1. Name of the laboratory/research institution/person/hospital/dispensary
2. Address
3. Name of the Drug
4. From whom the drug was obtained/purchased
5. Quantity (in grams)obtained/purchased
6. Date on which obtained/purchased

Details of Use :-

S.No.	Date	Quantity consumed	Purpose	Signature of the user
-------	------	-------------------	---------	-----------------------

Note: 1) This form shall be kept for 2 years from the last date of consumption.

2) This shall be produced for verification by any of the officers empowered under sections 41 or 42 of Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act or any officer-in-charge of a police station."

[F. No. 1/45/95-NCB (Coord.)]

REVA NAYYAR, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published vide GSR 837 (E) dated 14.11.1985 and subsequently amended vide S.O. 786 (E) dated 26.10.1992, S.O.599(E) dated 10.08.1993, GSR 748(E) dated 14.12.1993, GSR 543 dated 24.10.94, GSR 32 dated 14.02.1995 and GSR 556 (E) dated 14.07.1995.